संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या :–

<table>
<tr><td>7.</td><td></td><td>परियोजना/स्कीम का स्थान</td><td>ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।</td></tr>
<tr><td></td><td>I</td><td>राज्य/संघ शासित क्षेत्र</td><td>छत्तीसगढ़</td></tr>
<tr><td></td><td>II</td><td>जिला</td><td>धमतरी</td></tr>
<tr><td></td><td>III</td><td>वन प्रभाग</td><td>धमतरी</td></tr>
<tr><td></td><td>IV</td><td>वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है</td><td>11.534</td></tr>
<tr><td></td><td>V</td><td>वन की कानूनी स्थिति</td><td>आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन</td></tr>
<tr><td></td><td>VI</td><td>हरियाली का घनत्व</td><td>0.4 से 0.6</td></tr>
<tr><td></td><td>VII</td><td>प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध मं एफ. आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए ।</td><td>यह प्रस्ताव ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने के लिये है। इसमें किसी भी प्रकार से वृक्ष विदोहन का कार्य नही किया गया।</td></tr>
<tr><td></td><td>VIII</td><td>भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी</td><td>भूक्षरण की संभावना कम है।</td></tr>
<tr><td></td><td>IX</td><td>वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.</td><td>वनेत्तर भूमि वन सीमा के अंदर है।</td></tr>
<tr><td></td><td>X</td><td>क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)</td><td>उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।</td></tr>
<tr><td></td><td>XI</td><td>क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">वनस्पति का नाम</th><th colspan="2">प्राणीजात का नाम</th></tr>
<tr><th>दुलर्भ</th><th>संकटापन्न</th><th>दुलर्भ</th><th>संकटापन्न</th></tr>
<tr><td>चिरायता, सतावर, सफेद मुसली, काली मुसली, चरोटा</td><td>चार, तेन्दु, हर्रा, आंवला, भुई नीम, अमलतास, गुड़सुकड़ी, पुरूषरत्न, नागरमोथा, कुंदरूकंद, बैचांदी, वन प्याज, भेलवा, केवटी, गायपार, तिनपनिया, बड़े दशमूल, गेंजी कंद, करू कंद, किरिंज कंद</td><td>भालू, तेन्दुआ, चीतल, लोमड़ी, जंगली सुअर, बंदर, खरगोश, लकड़बग्घा</td><td>तेन्दुआ</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>XII</td><td>क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td>नही है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td></td><td>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td>प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।</td></tr>
</table>

9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dated 16 June 2011 के अनुसार पुल निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की बाध्यता नहीं होगी। Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dated 17 May 2013 के अनुसार छ0ग0 राज्य का धमतरी जिला नक्सल प्रभावित जिले की सूची में शामिल है। अतः प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
	II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	
	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	
	V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	पेज नंबर ..... में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12.		विभाग/जिला प्रोफाईल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	408193.000 हेक्टेयर
	II	जिले का वनक्षेत्र	
		आरक्षित वन	205632.000 हेक्टेयर
		संरक्षित वन	6922.000 हेक्टेयर
		असीमांकित वन	—
		योग :–	212554.000 हेक्टेयर
	III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वने क्षेत्र ।	15 = 550.356 हेक्टेयर
	(क)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1221.442 हेक्टेयर
	(ख)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
	(ग)	वनेत्तर भूमि पर ।	87.044 हेक्टेयर
	IV	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
		क. वनभूमि पर	1134.398 हेक्टेयर
		ख. वेनेत्तर भूमि पर	87.044 हेक्टेयर
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	इस वनमण्डल के अंतर्गत विभिन्न गावों को दुरसंचार व्यवस्था से जोड़ने के लिये तथा जनहित में उपयोगी होने के कारण प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुसंशा की जाती है।

दिनांक : 24.01.2020
स्थान : धमतरी

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

स्थल निरीक्षण टीप दिनांक 24.01.2020

(भाग 2 के बिंदु कमांक 11)

प्रस्तावित परियोजना का नाम – ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।

- परियोजना में प्रभावित वनभूमि – 11.534 हेक्टेयर
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक – **FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019**
- परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण –

वन का प्रकार	रकबा (हे0)
1	2
आरक्षित वन	10.004
संरक्षित वन	1.208
राजस्व वन क्षेत्र	0.322
योगः–	**11.534**

- प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व – 0.4 से 0.6
- प्रस्तावित क्षेत्र की साईट क्वालिटी – III एवं IV
- प्रस्तावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विवरण –

  Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dated 16 June 2011 के अनुसार पुल निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की बाध्यता नहीं होगी।

  Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dated 17 May 2013 के अनुसार छ0ग0 राज्य का धमतरी जिला नक्सल प्रभावित जिले की सूची में शामिल है।

  अतः प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

- भाग 2 के कॉलम नं. 7 (XI, XII), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप– धमतरी वनमंडल के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु) हेतु प्रस्तावित वनभूमि में दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात पाये जाते हैं (जिसका विवरण भाग 2 के 7(XI) में दर्शित है) और प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम है। आवेदित स्थल में किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल धमतरी